न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः 12/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00143)

1. श्रीनारायण पुत्र लादू, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. शंकर लाल पुत्र लादू, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. सन्तोष पुत्री चन्दा उर्फ रामचन्द्र पत्नी हुक्मी चन्द जाति हरियाणा ब्राहाम्ण निवासी शर्मा पिसाई केन्द्र, सिटी सिनेमा के पीछे किशनगंज ब्यावर जिला अजमेर।
2. तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

3. पार्वती पुत्री चन्दा (मृतक दौराने अपील),
   3/1. राधेश्याम पुत्र भंवरलाल,
   3/2. सीताराम पुत्र भंवरलाल,
   3/3. कमला पुत्री भंवरलाल,
   3/4. रामप्यारी पुत्री भंवरलाल, समस्त जाति हरियाणा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम गोविन्दपुरा वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक।

——तरतीबी रेस्पेडेन्ट्स

उपस्थितिः—
1. श्री हिमान्शु सोगानी अपीलार्थी की ओर से
2. श्री प्रेमप्रकाश शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 28.12.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम कानौता तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नमबर 374 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 416 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 418 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 516 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार लादू पुत्र नेहनू थे जिस पर पूर्व से लेकर वर्तमान तक अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है एवं खातेदारी भी अपीलान्ट के नाम पर ही वर्तमान में दर्ज है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निर्णय विधि की मंशा के अनुरूप नही होने के कारण खरिज किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतोष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सन्तोष चन्दा की पुत्री साबित होता हो। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ब्यावर जिला अजमेर के रहनी वाली व रामचन्द्र नामक व्यक्ति की पुत्री है जिनका अपीलान्ट एवं उनके हकपूर्वाधिकरियों से एवं चन्दा से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है केवल मात्र काल्पनिक सजरा बनाने मात्र से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करना गलत एवं निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिन है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 22 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है, जो असाधारण मियाद बाहर थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर कोई भी निर्णय पारित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 को खारिज फरमाया जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 562 दिनांक 21.12.1991 को यथावत रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता चन्दा उर्फ रामचन्द्र व लादू पुत्रान नेहनू हिस्सा बराबर थे किन्तु रेस्पोडेन्ट के पिता चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र को निःसन्तान बनाकर अपीलान्ट के पिता लादू ने तहसीलदार बस्सी से साजकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के जीवित रहते हुऐ उनके पिता चन्दा उर्फ रामचन्द्र को निःसंतान बताकर अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया जो रेस्पोडेन्ट के हक व अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भतः शून्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता चन्दा पुत्र नैहनू की खातेदारी भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता भूरीदेवी व भाई सत्यनारायण व उसकी पत्नी कमली की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है इसलिये स्व. चन्दा उर्फ रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनकी एकमात्र कानूनन वारिसान उनकी जायन्दा पुत्रीयॉ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 है जिनके जीवित रहते हुऐ स्व. चन्दा को निःसन्तान बताकर नामान्तरकरण तस्दीक करवाया गया है, जो सरासर अवैध और प्रारमभ से शून्य प्रभावी होने से निरस्तनीय ही था तथा अवैध व कानून के विपरित पारित किसी भी निर्णय को कभी भी चुनौती दिया जा सकता है इसमें मियाद का बिन्दू लागू नही होता है।

न्यायालय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.09.2013 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त होने पर हुई तब जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण पर "लादू ने आकर जाहिर किया कि मेरा भाई चन्दा पुत्र नेहनू फौत हो चुका है उसके कोई सन्तान नही है तथा पत्नी भी मर चुकी है" अंकित करते हुए नामान्तरकरण भरा गया है किन्तु उक्त मृतक चन्दा के वारिसान के सम्बन्ध में बिना किसी प्रकार की जॉच किये बिना ही तहसीलदार बस्सी द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट उक्त मृतक चन्द्रा की जायन्दा पुत्री बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आयी है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड योग्य ही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.1.2017 के माध्यम से प्रकरण तहसीलदार बस्सी को उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जॉच व्यप्त कानूनी प्रक्रिया तथा व्यवाप्त कानूनी प्रावधन अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड ही किया गया है जिससे प्रकरण में उक्त कार्यवाही तहसीलदार बस्सी द्वारा की जानी अभी बाकी है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट तहसीलदार बस्सी के समक्ष अपने तथ्य रखकर चाराजोही कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।